

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 33/2011

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 33/2011

संस्थापित दिनांक 21/01/2011

फाईलिंग नम्बर-230303003532011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-
मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. राजेश सिंह पुत्र जयगोपाल सिंह राठौर उम्र
लगभग -55 साल व्यवसाय ड्रायवर निवासी-
ब्रम्हनगर चौबेपुरा थाना चौबे पुरा जिला कानपुर
उ0प्र0

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा-279,337 एवं 338 भा0द0स0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ-श्री प्रवीण सिकरवार।)
(आरोपी द्वारा अधिवक्ता-श्री अशोक जादौन।)

::- निर्णय -::

(आज दिनांक 20/01/2017 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 31/12/10 को लगभग 20-25 बजे ग्राम चक तुकेडा के पास लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन टैंकर क्रमांक यू.पी.78-ए.टी.9077 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न करते हुये डम्पर क्रमांक एम.पी.06 जी.ए. 0347 में टक्कर मारकर उसमें बैठे फरियादी गोपाल सिंह एवं सोनू को चोट पहुंचाकर उसे साधारण उपहति तथा उसमें बैठे वीर सिंह को चोट पहुंचाकर उसे अस्थि भंग कारित कर गंभीर उपहति कारित करने हेतु भा0दं0स की धारा 279,337 (दो शीर्ष) एवं 338 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी गोपाल सिंह दिनांक 31/12/10 को भिण्ड से डम्पर क्रमांक एम.पी.06जी-ए 0347 में बैठकर ग्वालियर जा रहा था उसके साथ उसका चचेरा भाई सोनू एवं एक अन्य सवारी वीर सिंह भी बैठा था रात्रि लगभग 8:25 बजे जैसे ही वह ग्राम चक तुकेडा के पास आये थे तभी सामने से टैंकर क्रमांक यू.पी.78ए.टी.9077 का चालक टैंकर को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाता हुआ लाया था एवं डम्पर में टक्कर मार दी थी जिससे उसकी कमर एवं शरीर में

जगह-जगह चोटें आई थी तथा सोनू के सिर, मुंह, कान में चोट होकर खून निकला था एवं वीर सिंह के बाये हाथ एवं दोनों पैरों में तथा सिर में चोटें आई थी, नाम पूछने पर टेंकर चालक ने अपना नाम राजेश सिंह बताया था उसके भी चोटें आई थी आसपास के लोगों ने घटना देखी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना मालनपुर में अप0क्र0166/10 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया आरोपी को अपराध की विशिष्टता पढ़कर सुनाई व समझाई जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 31/12/10 को 20:25 बजे ग्राम चक तुकेडा के पास लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन टेंकर क्रमांक यू.पी.78-ए.टी 9077 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर टेंकर क्रमांक यू.पी.78 ए.टी 9077 को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुये डम्पर क्रमांक एम.पी.06 जी.ए.0347 में टक्कर मारकर उसमें बैठे फरियादी गोपाल सिंह एवं सोनू को चोट पहुंचाकर उन्हें साधारण उपहति एवं वीर सिंह को चोट पहुंचाकर उसे अस्थि भंग कारित कर गंभीर उपहति कारित की?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी गोपाल आ0सा01, आहत सोनू आ0सा02, एवं वीर सिंह आ0सा03 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

7. साक्ष्य की पृतरावृत्ति को रोकने लिये उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी गोपाल आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी राजेश सिंह को नाम एवं शकल से नहीं जानता है तथा देखकर भी नहीं पहचान सकता है। घटना वर्ष 2012 के आखिरी महीने की एवं आखिरी दिन की थी रात्रि 9 से साढ़े 10 बजे के बीच की घटना है वह डम्पर में बैठकर भिण्ड से ग्वालियर जा रहा था उसके साथ

उसके ताउ का लडका सोनू भी था एक अन्य सवारी भी थी जिसका नाम उसे याद नहीं है। सर्वा तुकेडा की पुलिया के पास सामने से टेंकर आ रहा था टेंकर चालक ने अपने टेंकर को रोड के नीचे उतार दिया था जिस डम्पर में वह बैठा था उस डम्पर का चालक फोन पर बातें कर रहा था डम्पर का चालक डम्पर को लापरवाही से चला रहा था। डम्पर चालक ने ही टेंकर में टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दिया था टक्कर लगने से उसकी कमर में सोनू की कनपटी और सिर में चोटें आई थी। मौके पर पुलिस आ गई थी मालनपुर थाने की पुलिस ने उसे जयारोग्य अस्पताल ग्वालियर में भर्ती कराया था जिस डम्पर में वह बैठा था उसका नम्बर उसे याद नहीं है उक्त डम्पर को राजेश नाम का ड्रायवर चला रहा था उस ड्रायवर को वह शकल से नहीं पहचान सकता है जो टेंकर सामने से आ रहा था वह उसका नम्बर नहीं बता सकता है। उक्त टेंकर को कौन चला रहा था वह यह भी नहीं बता सकता है उक्त टेंकर सही चल रहा था उसने पहले हॉर्न बजाया था परन्तु डम्पर वाले ने उसे टक्कर मार दी थी उसने घटना की रिपोर्ट थाना मालनपुर में की थी जो प्र0पी01 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्र0पी02 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि टेंकर का नम्बर यू.पी.78-ए.टी 9077 था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि टेंकर वाले ने टेंकर को तेजी व लापरवाही से चलाकर डम्पर में टक्कर मार दी थी एवं स्पष्ट किया है कि डम्पर वाला तेजी से चल रहा था।

09. आहत सोनू आ0सा02 एवं वीर सिंह आ0सा03 ने भी फरियादी गोपाल आ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं व्यक्त किया है कि वह आरोपी राजेश को नाम व शकल से नहीं जानते है घटना दिनांक 31/12/11 की है वह ग्वालियर डम्पर से जा रहे थे सर्वा तुकेडा की पुलिया के पास सामने से टेंकर आ रहा था टेंकर चालक ने टेंकर को रोड के नीचे उतार दिया था परन्तु डम्पर चालक ने डम्पर को लापरवाही से चलाते हुये टेंकर में टक्कर मार दी थी जिससे उनके चोटें आ गई थी। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि टेंकर का नम्बर यू.पी.78 ए.टी 9077 था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि टेंकर वाले ने टेंकर को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुये डम्पर में टक्कर मार दी थी।

10. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधि0द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः आरोपी को दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी गोपाल आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह सोनू एवं एक अन्य सवारी के साथ डम्पर में बैठकर भिंड से ग्वालियर जा रहा था तो सर्वा तुकेडा के पास सामने से एक टेंकर आ रहा था टेंकर चालक ने टेंकर को रोड के नीचे उतार दिया था परन्तु डम्पर चालक फोन पर बात कर रहा था एवं डम्पर के चालक ने डम्पर को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुये टेंकर में टक्कर मार दी थी जिससे उनके चोटें आई थी। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि जिस डम्पर में वह बैठा था उसका नम्बर उसे याद नहीं है उक्त डम्पर को राजेश नामक ड्रायवर चला रहा था जिसे वह शकल से नहीं पहचानता है टेंकर को कौन

चला रहा था एवं उसका नम्बर क्या था वह नहीं बता सकता है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि टेंकर का नम्बर यू.पी.78ए.टी.9077 था एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि टेंकर चालक ने टेंकर को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुये डम्पर में टक्कर मार दी थी।

12. इस प्रकार फरियादी गोपाल आ0सा01 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं दुर्घटना डम्पर चालक की गलती से होना बताया है उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि डम्पर को राजेश नाम का ड्रायवर चला रहा था परन्तु वह उसे शकल से नहीं पहचानता हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में टेंकर क्रमांक यू.पी.78ए.टी. 9077 के चालक द्वारा टेंकर को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुये डम्पर में टक्कर मार देने का उल्लेख है परन्तु फरियादी गोपाल आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि वाहन दुर्घटना टेंकर चालक की गलती से नहीं हुई थी बल्कि डम्पर चालक की गलती से हुई थी। प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह वर्णित है कि टेंकर चालक से नाम पूछने पर उसने अपना नाम राजेश बताया था परन्तु फरियादी गोपाल आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि डम्पर को राजेश नाम का व्यक्ति चला रहा था जिसे वह शकल से नहीं पहचानता है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि टेंकर का नम्बर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था वह नहीं बता सकता है। इस प्रकार फरियादी गोपाल आ0सा01 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से पूर्णतः विरोधाभासी रहे है प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना टेंकर चालक की गलती से हुई थी जबकि फरियादी गोपाल आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि दुर्घटना डम्पर चालक की गलती से हुई थी टेंकर का चालक टेंकर को सही तरीके से चला रहा था। अतः फरियादी गोपाल आ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है उक्त साक्षी द्वारा आरोपी की पहचान भी नहीं की गई है। उक्त साक्षी द्वारा न तो टेंकर का नम्बर बताया गया है और न ही यह बताया गया है कि टेंकर को कौन चला रहा था ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथनों से आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

13. आहत सोनू आ0सा02, एवं वीर सिंह आ0सा03 ने भी अपने कथन में डम्पर चालक की गलती से एक्सीडेंट होना बताया है तथा यह भी बताया है कि टेंकर चालक ने टेंकर को रोड के नीचे उतार दिया था परन्तु डम्पर का चालक डम्पर को लापरवाही से चला रहा था एवं उसने टेंकर में टक्कर मार दी थी उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त दोनों ही साक्षियों ने इस तथ्य से इंकार किया है कि टेंकर चालक ने टेंकर को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुये डम्पर में टक्कर मार दी थी। इस प्रकार फरियादी सोनू आ0सा02, एवं वीर सिंह आ0सा03 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण द्वारा डम्पर चालक द्वारा दुर्घटना कारित करना बताया गया है। उक्त साक्षीगण ने इस तथ्य से इंकार किया है कि टेंकर चालक ने टेंकर को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुये दुर्घटना कारित की थी। उक्त दोनों ही साक्षीगण द्वारा न तो आरोपित टेंकर का नम्बर बताया गया है और न ही यह बताया गया है कि टेंकर को कौन चला रहा था उक्त दोनों ही साक्षीगण द्वारा आरोपी की पहचान भी नहीं की गई है। अतः उक्त साक्षीगण के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

14. उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी गोपाल आ0सा01, सोनू आ0सा02 एवं वीर सिंह आ0सा03 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी राजेश ने आरोपित टैंकर को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर डम्फर क्रमांक एम.पी.06 जी.ए.0347 में टक्कर मारकर फरियादी गोपाल एवं आहत सोनू को चोट पहुंचाकर उन्हें साधारण उपहति एवं आहत वीर सिंह को चोट पहुंचाकर उसे अस्थि भंग कारित कर गंभीर उपहति कारित की। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

15. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित करे एवं यदि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।

16. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीने दिनांक 31/12/10 को लगभग 20-25 बजे ग्राम चक तुकेडा के पास लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन टैंकर क्रमांक यू.पी.78-ए.टी.9077 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन करते हुये डम्फर क्रमांक एम.पी.06 जी.ए. 0347 में टक्कर मारकर उसमें बैठे फरियादी गोपाल सिंह एवं सोनू को चोट पहुंचाकर उसे साधारण उपहति तथा उसमें बैठे वीर सिंह को चोट पहुंचाकर उसे अस्थि भंग कारित कर गंभीर उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी राजेश सिंह को भादस की धारा 279, 337 (दो शीर्ष) एवं 338 के आरोप से दोषमुक्त करती हैं।

17. आरोपी पूर्व से जमानत पर हैं उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

18. प्रकरण में जप्तशुदा टैंकर क्रमांक यू.पी.78-ए.टी.9077 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुर्पुदगी पर है। अतः उसके संबंध में सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। प्रकरण में जप्तशुदा डम्फर क्रमांक एम.पी.06 जी.ए.0347 थाने से ही सुर्पुदगी पर दे दिया गया है। अपील होने की दशा में माननीय न्यायालय के निर्देशो कापालन किया जावे।

स्थान - गोहद

दिनांक - 20-01-2017

निरणय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)